## संक्षिप्त पर महत्वपूर्ण

### श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि मनाई गई

**अभनपुर=** भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की रविवार को पुण्यतिथि के अवसर पर अभनपुर के रेस्ट हाउस में क्षेत्रीय विधायक इंद्रकुमार साहू ने डॉक्टर मुखर्जी के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि दी । इस अवसर पर विधायक साहू ने कहा कि भारत भूमि पर एक प्रधान, एक विधान और एक निशान के स्वप्नद्रष्टा डॉ. मुखर्जी ने कश्मीर से धारा-370 को समाप्त करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर आंदोलन किया। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृढ़ निश्चय के चलते कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का हिस्सा है, तब डॉ मुखर्जी के विचार और उनके प्रयास हम सभी भारतवासियों के लिए प्रेरणा का केंद्र बनकर अमर रहेंगे। हमें खुद पर गर्व होना चाहिए कि हम ऐसे महान विभूतियों के आदर्शों व सिद्धांतों पर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं ।ः कार्यक्रम के इस अवसर पर नगर पंचायत उपाध्यक्ष किशन शर्मा, महामंत्री भरत बैस, गौरव शर्मा, मुकेश ढीढी, राजा राय ,सूरज साहू, रोशन सिन्हा, आदि लोग उपस्थित थे।

### नया राशन कार्ड का वितरण शुरू

**भिलाईनगर।** नगर निगम भिलाई क्षेत्रांतर्गत निवासरत नागरिको को नया राशन कार्ड वितरण करने कर्मचारियो की डयूटी लगाई गई है। जिसके अनुसार दो राशन दुकानों में एक निगम कर्मचारी नियुक्त किया गया है। आयुक्त देवेश कुमार ध्रुव के निर्देश पर राशन कार्ड वितरण हेतु कर्मचारियो की डयूटी आदेश जारी किया गया है। निगम क्षेत्र में निवास कर रहे नागरिको को नया राशन कार्ड का वितरण किया जा रहा है। जिसके तहत पुराने राशन कार्ड में नये हितग्राहीयो का नाम दर्ज कर एवं मृत हितग्राहियो का नाम विलोपित कर नवीन राशन कार्ड वितरण किया जा रहा है। निगम के पॉचो जोन के कर्मचारियो को राशन कार्ड का वितरण किये जाने के लिए दो से तीन दुकानों के बीच में एक निगम कर्मचारियो की डयूटी लगाई गई है। ताकि नागरिको को नया राशन कार्ड वितरण के समय किसी प्रकार की परेशानी न हो। राशन कार्डधारी अपरे कापरेटी पर ही पुराने राशन कार्ड को जमा करेगे दुसरे दिन निगम के कर्मचारी नया राशन कार्ड बनाकर दे देगे, जिससे उन्हे नया राशन कार्ड आसानी से प्राप्त हो जायेगा। निगम अयुक्त ने लोगो से अपील की है कि अपना पुराना राशन कार्ड को जल्द से जल्द जमा कर नया राशन कार्ड प्राप्त कर ले। किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर नगर निगम के जोन कार्यालय में जोन के राजस्व अधिकारी से संपर्क कर सकते है।

# कृषि एवं सहकारिता विभाग की विधायक ने की समीक्षा

स्वदेश संवाददाता, अभनपुर

जनपद पंचायत अभनपुर के सभाकक्ष में कृषि एवं सहकारिता विभाग का समीक्षा बैठक विधायक इंद्र कुमार साहू के अध्यक्षता में अधिकारी कर्मचारी की समीक्षा बैठक 24 जून को शाम चार बजे तक चली, बैठक में कृषि विभाग के समीक्षा करते हुए विधायक इंद्रकुमार साहू ने कहा कि बोआई पूर्व खाद बीज का उचित प्रबंध एवं प्रमाणित बीज का ज्यादा से ज्यादा किसानों के बीज प्रचार प्रसार करें, शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का जानकारी भी दें, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी फील्ड में जाकर कार्य करें, सहकारिता विभाग के समीक्षा बैठक लेते हुए विधायक ने कहा कि सोसाइटी में उपभोक्ताओं को समय पर राशन वितरण किया जाए, सेल्समैन की शिकायत मिलने पर तत्काल हटाने के निर्देश दिए, मॉर्निंकचौरी, सोनी पैरी,आमदी के समिति प्रबंधक को किसानों के साथ सदव्यवहार करने कहा, विधायक इंद्र कुमार साहू ने कहा कि किसान सम्मान निधि मैं एक भी किसान योजना से वंचित न हो खाता संबंधी समस्याएं में टेक्निकल सुधार कर खाते में राशि समायोजित करने का है, ट्रस्ट के जमीन जो रेगहा दिया जाता है, उसमें बोनस के अंतर राशि नहीं देने का शासनादेश जारी हो चुका है, किसान सम्मन निधि योजना में 1 फरवरी 2019 के बाद नया खाता धारी को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। बैठक में कृषि एवं सहकारिता विभाग के अधिकारी कर्मचारी गण , वरिष्ठ कृषि अधिकारी,ग्राम सेवक एवं समिति प्रबंधक गण उपस्थित थे.

## सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया विधायक

अभनपुर,, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अभनपुर में व्यवस्थाओं का जायजा लेने विधायक इंद्र कुमार साहू अचानक अस्पताल पहुंचकर एक-एक मरीजो से हाल-चाल पूछा ड्रेसिंग रूम, औषधि वितरण कक्ष, पीएनसी कक्ष, सहित पूरे वार्ड का भ्रमण कर बी,एम,ओ,को सर्व सुलभ इलाज के लिए बीएमओ को दिशा निर्देश दिए, इस अवसर पर नपा उपाध्यक्ष किशन शर्मा, राजू पांडे, मुकेश ढीढी, बसंत कोसरे, जितेंद्र बंजारे, सागर साहू,गोयल भट्ट, पार्षदबबला यादव उपस्थित थे।

# बहरमुड़ा में उल्टी-दस्त के रोकथाम के लिए प्राथमिक स्कूल को बनाया अस्थायी कैंप

स्वदेश संवाददाता, कवर्धा

कलेक्टर जनमेजय महोबे आज कवर्धा विकासखण्ड के ग्राम बरहमुड़ा में उल्टी-दस्त से प्रभावित ग्रामीणों को स्वास्थ्य सुधार की जानकारी लेने पहुंचे। उन्होने ग्राम बहरमुड़ा में उल्टी-दस्त को प्रभावित रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग,लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। कलेक्टर ने इन विभागों को ग्राम सहित आसपास के गांवों में भी कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए। उन्होने ग्राम बहरमुड़ा के प्राथमिक स्कूल में बनाए गए अस्थायी स्वास्थ्य कैंप का भी अवलोकन किया और वहां उपचार के लिए सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने अस्थायी कैपं में तैनात चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य अमलों से उल्टी-दस्त से प्रभावित लोगों के स्वास्थ्य सुधार के बारे में पूरी जानकारी ली। कलेक्टर से ग्राम बहरमुड़ा के ग्रामीणों ने ग्राम सचिव की बेहद और गंभीर शिकायत की। कलेक्टर ने ग्राम सचिव के विरूद्ध. मिली शिकायत की जांच करने के लिए जिला पंचायत सीईओ को शिकायतों की सभी पहलुओं की जांच करने के निर्देश दिए है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ बीएल राज ने बताया कि ग्राम बहरमुड़ा में 21 जून को उल्टी दस्त से 10 मरीज, 22 जून को 18 मरीज और 23 जून को 2 मरीज कुल 30 लोगों का अस्थायी स्वास्थ्य कैंप में बेहतर उपचार किया गया और प्राथमिक उपचार के बाद सभी को सकुशल छुट्टी दी गई। वर्तमान में उल्टी-दस्त से कोई गंभीर पीडित नहीं है। कलेक्टर महोबे ने ग्राम के सभी घरों में स्वास्थ्य अमला भेज कर सभी का स्वास्थ्य परीक्षण कराने और उल्टी-दस्त के प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए आवश्यक निर्देश दिए। उनहोने अस्थायी कैंप में 24 घंटे चिकित्सक सहित स्वास्थ्य अमलों को अलर्ट रहने के सख्त निर्देश दिए है।कलेक्टर ने उपस्वास्थ्य केन्द्र बुटकुली, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र इंदौरी और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पिपरिया में भी उल्टी-दस्त एवं मौसमी बीमारियों के प्रभावी रोकथाम के लिए सभी आवश्यक तैयारियों सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर महोबे ने ग्राम बहरमुड़ा के सभी शासकीय एवं निजी जल स्त्रोंतों को जल परीक्षण कराने के लिए पीएचई विभाग को निर्देश दिए। साथ ही सभी जल स्त्रोंतों को क्लोरिनेशन कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर के निर्देश पर ग्राम के 9 हैण्डपंप का जल परीक्षण का सैम्पल लिया गया है। और ग्राम के 16 स्त्रोतों को क्लोरिनेशन किया गया है। पीएचई एसडीओ डीएस राजूपत ने बताया कि ग्राम बहरमुड़ा की कुल आबादी 2081 हैं तथा परिवारों की संख्या 463 है। ग्राम में पेयजल आपूर्ति के लिए 16 जल स्त्रोत है, जिसमें 6 पाउर पंप, एक सोलर पंप और 9 हैण्ड पंप है। इसके अलावा ग्राम में निजी बोर जल स्त्रोत कुल 33 जल स्त्रोत हैं। कलेक्टर के निर्देश पर जल स्त्रोतों को क्लोरिनेशन का काम किया जा रहा है। पानी टंकी का भी क्लोरिनेशन किया गया है। सभी 33 जल स्त्रोंतो का परीक्षण के लिए सैम्पल लिए गए है, जांच रिपोर्ट अभी नहीं आई है।

# करारी हार और सरकार चले जाने के बाद मानसिक संतुलन खो बैठे है भ्रष्ठ कांग्रेसी नेता-कृष्णा चंद्राकर

**स्वदेश कुंडा कवर्धा -:** भारतीय जनता पार्टी मंडल कुंडा महामंत्री कृष्णा चंद्राकर जारी प्रेस विज्ञप्ति कर कहा है कि कांग्रेसी पंडरिया लोकप्रिय विधायक भावना बोहरा के मात्र 6 माह के कार्य को नही पचा पा रहे हैं कांग्रेस शायद अपनी सरकार की कार्यकाल भूल गए हो तो याद करो जब आपके मंत्री विधायक शायद लापता हो गए थे ये कार्यालय खोलने के बाद बंद कर दिय ओ आज भाजपा विधायक की बात करते है जिनके 6माह के कार्यकाल में 3.50करोड़ से अधिक कार्य स्वीकृत हुऐ है जिन्होंने अपनी विधनसभा में स्वयं की 8 एंब्यूल्स, कालेज जाने वाली बहनों के लिए बस और प्रत्येक मंडल में समस्या निवारण कार्यालय खोल दिए यही कारण की कांग्रेसी नेता इसे हजम नहीं कर पा रहे हैं। ये लोग तो अभी सेमरहा मे भी राजनीति करने गए थे जहां पंडरिया लोकप्रिय विधायक ने 19 बच्चो की पढ़ाई लिखाई का जिम्मा अपने ऊपर लिए ये काग्रेस बताए गा जिनके कार्यकाल में किसान K C C , खाद, यहा तक के बरदाना , शक्कर की राशी के लिए किसानों को दर दर भटकाए 1000मे यूरिया खाद को बिकवाये उस दिन कहा थे ये किसान के हम दर्द ये तो टेलर है अभी तो पूरी फिल्म बाकी है चार साल का।

**न्यायालय नायब तहसीलदार सिमगा, जिला बलौदाबाजार- भाटापारा (छ.ग.)**

**ईश्तहार**

रा.प्र.क्र. 202406214900010
ब/121 वर्ष 2023-24
साकिन- केसदा प.ह.नं. 19

एतद् द्वारा सर्व साधारण जनता ग्राम केसदा प.ह.नं. 19 तहसील सिमगा जिला बलौदाबाजार - भाटापारा (छ.ग.) को सूचित किया जाता है कि कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सिमगा के ज्ञापन कं. / 565 / अ.वि.अ./ वा01 / 2024 सिमगा दिनांक 19-06-2024 अनुसार आवेदिका रिंकी अग्रवाल पति अंकित अग्रवाल निवासी ग्राम तिल्दा नेवरा द्वारा कलेक्टर महोदय जिला बलौदाबाजार- भाटापारा (छ.ग.) के समक्ष ग्राम केसदा प.ह.नं. 19 तहसील सिमगा में नवीन रिटेल आउटलेट पेट्रोल पम्प स्थापित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। जिसमें ग्राम केसदा प.ह.नं. 19 तहसील सिमगा जिला बलौदाबाजार- भाटापारा स्थित भूमिस्वामी अंकित अग्रवाल पिता श्री विजय अग्रवाल के नाम पर दर्ज भूमि ख.नं. 134/1 134/2 रकबा क्रमशः 0.1300 हे., 0.1300 हे. पर पर नवीन रिटेल आउटलेट पेट्रोल पम्प स्थापित करने हेतु जो जाँच प्रतिवेदन हेतु प्राप्त हुआ है। जिसके संबंध में प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः उक्त संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को कोई दावा / आपत्ति पेश करना हो वे स्वतः या अपने अधिवक्ता के माध्यम से पेशी दिनांक 10-07-2024 तक अपना आपत्ति इस न्यायालय में पेश कर सकते हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 21-06-2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी किया गया।

मुहर

नायब तहसीलदार
सिमगा

**कार्यालय कलेक्टर (आबकारी) जिला रायपुर (छ.ग.)**

Email Id- excise.acraipur @rediffmail.com

**निविदा सूचना**

रायपुर जिले के 13 देशी मदिरा दुकान, 14 कम्पोजिट मदिरा दुकान एवं 39 विदेशी मदिरा दुकान व 12 प्री.वि.म. दुकान, सहित कुल 78 मदिरा दुकानों में लगे सी.सी.टी.व्ही. कैमरा, एन.व्ही. आर. एवं उससे सम्बद्धित समस्त उपकरणों की अनुरक्षण के लिए निर्धारित प्रारूप में मोहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है।

निविदा प्रस्तुत करने हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप, शर्तों एवं जिले में संचालित मदिरा दुकानों की सूची निविदा सूचना प्रकाशन के उपरांत कार्यालयीन समय में निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से एक दिवस पूर्व तक कार्यालय महाप्रबंधक सी.एस.एम.सी.एल. रायपुर (छ. ग.) से 1000/- रू. आवेदन शुल्क जमा किया जाकर प्राप्त किया जा सकता है। मुहरबंद निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि दिनांक 03-07-2024 को 2:00 बजे मध्यान्ह तक नियत है एवं उसी दिन शाम 4:00 बजे गठित समिति के समक्ष तकनीकी निविदा एवं शर्तों के अधीन उपयुक्त पाये जाने पर वित्तीय निविदा को खोली जावेगी।

निविदा की शर्तें एवं अन्य जानकारी निर्धारित तिथि के एक दिवस पूर्व तक कार्यालयीन समय में कार्यालय उपायुक्त आबकारी सह महाप्रबंधक सी.एस.एम.सी.एल. रायपुर कलेक्टोरेट के कक्ष क्र. 22 से प्राप्त की जा सकती है।

कलेक्टर
रायपुर (छ.ग.)

जी- 242500559/5

**U GRO CAPITAL LIMITED**

4वीं मंजिल, टॉवर 3, इक्विनॉक्स बिजनेस पार्क, एलबीएस रोड, कुर्ला, मुंबई 400070

**मांग नोटिस**

**वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ('अधिनियम') और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 ('नियम') के प्रावधानों के तहत**

अधिनियम के तहत यूजीआरओ कैपिटल लिमिटेड और पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, तथा अधिनियम की धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नियम 3 के साथ, अधिनियम की धारा 13(2) के तहत मांग नोटिस जारी किया है, जिसमें निम्नलिखित उधारकर्ताओं से उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर संबंधित नोटिस में उल्लिखित राशि चुकाने के लिए कहा गया है। नीचे हस्ताक्षरकर्ता का उचित रूप से मानना है कि उधारकर्ता मांग नोटिस की सेवा से बच रहे हैं, इसलिए मांग नोटिस की सेवा नियमों के अनुसार चिपकाकर और प्रकाशित करके की जा रही है। मांग नोटिस की सामग्री नीचे उद्धृत की गई है:

| उधारकर्ता(ओं) का नाम और LAN | डिमांड नोटिस की तिथि और राशि |
|---|---|
| 1. जे एस एंटरप्राइज 2. समी अहमद 3. नुसरत खातून LAN - HCFRPRSEC00001040304 | डिमांड नोटिस की तिथि: 15-06-2024 राशि: रु. 33,46,384/- 14-06-2023 तक |

**सुरक्षित परिसंपत्ति(यों) का विवरण**

"विचरित भूमि खसरा क्रमांक 286/835, क्षेत्रफल 980 वर्ग फीट या 0.009 हेक्टेयर पर आवासीय संपत्ति के रूप में अचल संपत्ति का वह टुकड़ा और पार्सल जो मौजा बिरगांव, मौलाना अब्दुल रऊफ वार्ड, वार्ड क्रमांक 28, गाजी नगर, रायपुर, पुराना प.ह.नं. 29, नया प.ह.क्रमांक 88, पुराना आर.आई.सी. धरसींवा-1, नया रायपुर-17 बिरगांव, तहसील रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ में स्थित है। उत्तर में सड़क से, दक्षिण में मोहम्मद साबिर और मोहम्मद कादिर के घर से, पूर्व में मोहम्मद कासिम के घर से, पश्चिम में मुना निजा के घर से घिरा हुआ है।"

उधारकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे मांग नोटिस का अनुपालन करें और इसमें उल्लिखित मांग राशि का भुगतान इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर करें, साथ ही भुगतान की प्राप्ति की तिथि तक लागू ब्याज, देर से भुगतान जुर्माना, बाउंस शुल्क, लागत और व्यय आदि का भुगतान करें। उधारकर्ता ध्यान दें कि यूजीआरओ कैपिटल लिमिटेड एक सुरक्षित ऋणदाता है और उधारकर्ताओं द्वारा प्राप्त ऋण सुविधा यूजीआरओ कैपिटल लिमिटेड के पास उधारकर्ताओं द्वारा गिरवी रखी गई अचल संपत्ति के विरुद्ध एक सुरक्षित ऋण है। इस घटना में, उधारकर्ता निर्धारित समय के भीतर अपनी देनदारियों का पूरा निर्वहन करने में विफल रहता है, यूजीआरओ कैपिटल लिमिटेड सुरक्षित परिसंपत्ति का कब्जा लेने के लिए अधिनियम की धारा 13(4) के तहत सभी अधिकारों का प्रयोग करने का हकदार होगा, जिसमें उधारकर्ता(ओं) के ऋण खाते में बकाया राशि का पता लगाने के लिए बिक्री के माध्यम से या अधिनियम और नियमों के तहत उपलब्ध किसी अन्य उपाय को लागू करके उसी तक सीमित नहीं है। यूजीआरओ कैपिटल लिमिटेड को बिक्री या हस्तांतरण के अधिकार को लागू करने से पहले सुरक्षित परिसंपत्ति(ओं) को कुर्क करने और/या सील करने का भी अधिकार है। सुरक्षित परिसंपत्ति(ओं) की बिक्री के बाद, यूजीआरओ कैपिटल लिमिटेड को शेष बकाया राशि वसूलने के लिए अलग से कानूनी कार्यवाही शुरू करने का अधिकार भी है, यदि सुरक्षित परिसंपत्ति(ओं) का मूल्य उधारकर्ता(ओं) द्वारा यूजीआरओ कैपिटल लिमिटेड को देय बकाया को कवर करने के लिए अपर्याप्त है। उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13(8) की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में और आगे अधिनियम की धारा 13(13) की ओर, जिसके तहत उधारकर्ताओं को यूजीआरओ कैपिटल लिमिटेड से पूर्व लिखित सहमति के बिना सुरक्षित परिसंपत्तियों को बेचने, पट्टे पर देने या अन्यथा (व्यापार के सामान्य क्रम के अलावा) किसी भी सुरक्षित परिसंपत्ति को हस्तांतरित करने या निपटाने से रोका/निषिद्ध किया जाता है और उपरोक्त का अनुपालन न करना अधिनियम की धारा 29 के तहत दंडनीय अपराध है। मांग नोटिस की प्रति नीचे हस्ताक्षरकर्ता के पास उपलब्ध है और उधारकर्ता, यदि वे चाहें तो नीचे हस्ताक्षरकर्ता से इसे प्राप्त कर सकते हैं।

स्थान: रायपुर
दिनांक: 25.06.2024

एसडी/-, रामलाल गुप्ता (प्राधिकृत अधिकारी)
यू ग्रो कैपिटल लिमिटेड के लिए (authorised.officer@ugrocapital.com)

**Karnataka Bank** Your Family Bank Across India — Celebrating 100 Years of Trust 1924

Head Office,Mangaluru – 575 002 CIN : L85110KA1924PLC001128

परिसंपत्ति वसूली प्रबंधन शाखा
दूसरी मंजिल, परिसर संख्या 07/1-0333, प्लॉट संख्या सीबीडी 100/3, न्यू टाउन, कोलकाता-700156, (पश्चिम बंगाल)

फ़ोन/फ़ैक्स : 033-22268580
मोबाइल : 9632026760
वेबसाइट : www.karnatakabank.com
ई-मेल : kolkata.arm@ktkbank.com

**परिशिष्ट / शुद्धिपत्र**

इस समाचार पत्र में 22.06.2024 को उधारकर्ता मेसर्स जीसीसी ऑर्गेनिक फूड पैकिंग एंड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड के खाते में प्रकाशित बिक्री नोटिस के अनुसार, संपत्ति के विवरण में कृपया संपत्ति क्रमांक 3 को भी निम्नानुसार जोड़ें।

संपत्ति 3. क्रिस्टल आर्केड, नेताजी सुभाष चंद बोस रोड, मोवा, रायपुर में स्थित, ख.नं. 432/2-4 और 433/2, प.ह.नं. 109 में शामिल वाणिज्यिक दुकान / यूनिट नंबर 214, ब्लॉक-बी, द्वितीय तल का वह पूरा हिस्सा और उससे संबंधित सभी अधिकार श्री योगेश कुमार गोयल के हैं। **सीमाएँ : पूर्व :** खुला क्षेत्र, **पश्चिम :** गलियारा **उत्तर :** दुकान नं.213 **दक्षिण :** दुकान नं.134

**आरक्षित मूल्य अपसेट मूल्य जिसके नीचे संपत्ति नहीं बेची जा सकती :** रु.52,52,000.00 (बावन लाख बावन हजार मात्र)

**जमा/निविदा की जाने वाली बयाना राशि :** रु.5,25,200.00 (पाँच लाख पच्चीस हजार दो सौ मात्र)।

22.06.2024 को प्रकाशित अन्य नियम और शर्तें समान और अपरिवर्तित रहेंगी।

दिनांक: 22.06.2024
स्थान: रायपुर

कर्नाटक बैंक लिमिटेड
मुख्य प्रबंधक एवं प्राधिकृत अधिकारी हेतु

**ओरिक्स लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया लिमिटेड**

ORIX

(जिसे पहले ओएआईएस ऑटो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)
ऑटो इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड की सहायक कंपनी)
रजि. कार्यालय: प्लॉट नंबर 94, मरोल सहकारी औद्योगिक एस्टेट, अंधेरी-कुर्ला रोड, अंधेरी (ई), मुंबई - 400059
दूरभाष: + 912228595093/67070100 / फैक्स:+91 2228528549
ईमेल: info@orixindia.com www.orixindia.com। सीआईएन : U74900MH2006PLC163937

**परिशिष्ट - IV-ए [नियम 8(6) का परंतुक देखें]**
**अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना**

वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना, सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधान के साथ पढ़ी जाती है।
इसके द्वारा सामान्य रूप से जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता (ओं) और गारंटर (ओं) को नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति सुरक्षित लेनदार को गिरवी/चार्ज की गई है, जिसका भौतिक कब्जा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है। ओरिक्स लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया लिमिटेड को नीचे उल्लिखित राशि की वसूली के लिए 15.07.2024 को 'जैसा है जहां है', 'जैसा है जो है' और 'जो कुछ भी है' के आधार पर सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से बेचा जाएगा। उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं से ओरिक्स लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के कारण जैसा कि नीचे बताया गया है। आरक्षित मूल्य नीचे उल्लिखित अनुसार होगा और बयाना राशि जमा (ईएमडी) नीचे उल्लिखित अनुसार होगी।

| उधारकर्ताओं का नाम और सह-उधारकर्ताओं की बकाया राशि मांग नोटिस की तारीख | संपत्ति का विवरण | आरक्षित मूल्य (INR) / ईएमडी / बोली बढ़ाएँ राशि |
|---|---|---|
| • महेश वासवानी • लक्ष्मी वासवानी INR 2,53,14,809.77/- 01-06-2024 तक मांग सूचना दिनांक: 06-02-2020 | प्लॉट नंबर डी-20बी और डी-21, भूमि क्षेत्रफल 2000 वर्गफुट एवं निर्मित क्षेत्र 2500 वर्गफुट प.ह.नं. 114 पर स्थित है। 'प्रियदर्शिनी गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित', रायपुर, ग्राम-टिकरापारा, प्रियदर्शिनी नगर, रायपुर, तहसील एवं जिला - रायपुर, छ.ग. 492001, और इसकी सीमा इस प्रकार है:- **पूर्व: प्लॉट नंबर डी-20 ए, पश्चिम: सड़क, उत्तर: अन्य प्लॉट, दक्षिण: सड़क** | **87,48,000/- (रुपये सतासी लाख अड़तालीस हजार मात्र)** बयाना राशि जमा 10% - INR 8,74,800/- (आठ लाख चौहत्तर हजार आठ सौ रुपये मात्र) बोली वृद्धि राशि - INR 50,000/- (केवल पचास हजार रुपये) |
| • संजय मेहता • रश्मी मेहता INR 60,49,298.27/- 04-06-2024 तक मांग सूचना दिनांक: 14-09-2022 | पारिवारिक इकाई प्रकार संख्या 201 दूसरी मंजिल पर ब्लॉक '2 बी' में, जिसका माप 900 वर्गफुट है। (सुपर बिल्ट-अप एरिया), 'साईं सिमरन' कॉन्डोमिनियम', खसरा नंबर 65/3 और 65/27 वाली भूमि पर निर्मित, गांव पुरेना, पी.एच.नंबर 113, वार्ड नंबर 45, रानी दुर्गा वती वार्ड में स्थित है।, उप-पंजीयक कार्यालय रायपुर, नगर/तहसील एवं जिला: रायपुर (छ.ग.), और इस प्रकार घिरा: उक्त इकाई/फ्लैट की सीमाएं उत्तर: खुला क्षेत्र, पूर्व: खुला क्षेत्र, पश्चिम: फ्लैट नंबर 203, दक्षिण फ्लैट नंबर। 202, भूमि की सीमाएँ: उत्तर: सड़क, पूर्व: रोड, पश्चिम: खुली भूमि, दक्षिण: मंदीप भूमि | **29,16,000/- (रुपये उनतीस लाख सोलह हजार मात्र)** बयाना राशि जमा 10% - INR 2,91,600/- (रुपये दो लाख इक्यावन हजार छह सौ मात्र) बोली वृद्धि राशि - 50,000/- रुपये (पचास हजार रुपये मात्र) |
| • ललित बजाज • अनिता बजाज INR 85,18,437.06/- 01-06-2024 तक मांग सूचना दिनांक: 12-03-2021 | मकान नंबर सी-02, भूमि क्षेत्रफल 1000 वर्ग। फुट. एवं निर्मित क्षेत्र 1675 वर्गफुट ख.नं.265/2, फोन नं.113/44, रानी दुर्गावती वार्ड नं.45, प्रगति विहार, सहयोग पार्क, ग्राम. पुरेना, रायपुर, छत्तीसगढ़, 492001, और सीमाएँ **इस प्रकार: पूर्व: मकान नंबर सी- 03, पश्चिम मकान नंबर सी-01, उत्तर अन्य संपत्ति, दक्षिण: सड़क** | **आरक्षित मूल्य - 35,00,000/- (केवल पैंतीस लाख रुपये)** बयाना राशि जमा 10% - INR 3,50,000/- (केवल तीन लाख पचास हजार रुपये) बोली वृद्धि राशि - INR 50,000/- (केवल पचास हजार रुपये) |
| • क्रिश कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड • एक्सट्रीम एग्रो फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड • कुणाल जयसवाल • विजय कुमार जायसवाल INR 3,18,26,858.85/- 04-06-2024 तक मांग सूचना दिनांक: 04-06-2021 | प्लॉट नंबर 1, ब्लॉक नंबर 4, प्लॉट एरिया 3550.8 वर्गफुट एवं निर्मित क्षेत्र 1112 वर्ग. फीट, प्रियदर्शिनी परिसर (पश्चिम), आवासीय योजना भिलाई, कोसा नगर वार्ड 03, दुर्ग, छत्तीसगढ़-491001 में स्थित है, और इसकी सीमा **इस प्रकार है:- पूर्व: खुली भूमि, पश्चिम: सड़क, उत्तर: खुली और सर्विस रोड, दक्षिण प्लॉट नं. .19** | **1,21,50,000/- (रुपये एक करोड़ इक्कीस लाख पचास हजार मात्र)** बयाना राशि जमा 10% - INR 12,15,000/- (रुपये बारह लाख पंद्रह हजार मात्र) बोली वृद्धि राशि - INR 50,000/- (पचास रुपये) केवल हजार) |

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया ओरिक्स लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट यानी https://www.orixindia.com/leeasing.php पर दिए गए लिंक को देखें या प्राधिकृत अधिकारी श्री सुखवंत सिंह से संपर्क कर सकते हैं। (संपर्क विवरण: +91-9810389922) सोमवार से शनिवार तक कार्य समय के दौरान।

दिनांक : 25-06-2024

वास्ते/- प्राधिकृत अधिकारी
ओरिक्स लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया लिमिटेड

**न्यायालय तहसीलदार बसना, जिला महासमुंद (छ.ग.)**

**उद्घोषणा**

क्रमांक/133/क/वाचक/तह./
बसना, दिनांक 24/06/2014

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशन कराया जाता है कि आवेदक पदममुख यादव पिता मायाधर यादव जाति रावत निवासी ग्राम अरेकेल तहसील बसना जिला महासमुंद द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया है कि ग्राम अरेकेल प.ह.नं. 35 स्थित भूमि कुल खसरा नंबर 04 कुल रकबा 0.83हे. भूमि को रूपाई पति स्व. गुरो जाति रावत द्वारा अपने जीवन काल में आवेदक के पक्ष में दिनांक 02.09.2023 को वसीयतनामा निष्पादित किया है, के आधार पर वसीयतकर्ती के दिनांक 02.09.2023 को निःसंतान फौत हो जाने से अपने नाम पर नामांतरण किए जाने बाबत आवेदन इस न्यायालय में पेश किया गया है।

अतः उक्त भूमि को आवेदक के आवेदन के अनुसार वसीयतकर्ती के मृत्यु उपरांत आवेदक के पक्ष में नामांतरण किये जाने से जिस किसी संस्था / व्यक्ति को आपत्ति हो तो वे दिनांक- 10/07/2024 तक न्यायालय में उपस्थित होकर दावा पेश कर सकते हैं, बाद में प्राप्त दावा पर विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 24/06/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से जारी किया गया।

मुहर

तहसीलदार
बसना

**एल&टी फाइनान्स लिमिटेड**
(पहले एल&टी फाइनान्स होल्डिंग्स लिमिटेड के रूप में ज्ञात)
**पंजीकृत कार्यालय:** एल&टी फाइनान्स लिमिटेड, बृंदावन बिल्डिंग, प्लॉट नं. 177, कलीना, सीएसटी रोड, मर्सडीज़ शोरूम के पास, सांताक्रुज़ (पूर्व), मुंबई 400 098
**सीआईएन नं.:** L67120MH2008PLC181833
**शाखा कार्यालय:** रायपुर

L&T Finance

**गिरवी संपत्ति की बिक्री के लिए सार्वजनिक नीलामी**

वित्तीय संपत्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित का प्रभावीकरण अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के अंतर्गत एल&टी फाइनान्स लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी द्वारा एवं उक्त अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों के प्रयोगांतर्गत अपनी बकाया राशियों एवं आगामी ब्याज, प्रभारों, शुल्कों एवं व्ययों आदि की वसूली हेतु **"सार्वजनिक निलामी"** के माध्यम से **"जहाँ है"** और **"जैसी स्थिति में है"** आधार पर निम्नांकित संपत्ति की नीलामी की जा रही है.

| कर्जदार और सह-कर्जदार का नाम | सिक्योर्ड प्रॉपर्टी का पता | लोन अकाउंट नंबर | लिया गया भौतिक कब्जा | अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट आरपी का 10% या अधिक (₹ में) | 21.06.2024 के अनुसार कुल बकाया राशि (₹ में) | आरक्षित मूल्य (₹ में) | निरीक्षण का दिनांक | नीलामी का दिनांक और समय |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. शेख शोएब मोहम्मद 2. शेख मोहम्मद शेखकरीम 3. नाजिया कौसर शेख 4. नजमुन निशा शेख | संपत्ति के सभी हिस्से एवं अंश, जिसका पता है: खसरा 1460/4 और 1460/31 का हिस्सा, जिसकी माप 2725 वर्ग फीट है, जो मौजा कैलाश नगर, वार्ड नंबर 11, कुम्हारी, पीएच नं. 46, आरएनएम अहिरवारा, तहसील धमदा, दुर्ग छत्तीसगढ़ - 490042 में स्थित है. सीमाएँ: पूर्व - भोजराज की जमीन; पश्चिम - श्रीवास्तव की जमीन; उत्तर - सड़क; दक्षिण - राजू सिंधी की जमीन | RAIHL17000036 और RAIHL17000037 | 19 जनवरी 2024 | ₹ 2,00,187/- | ₹52,26,924.23 | ₹20,01,870/- | 15 जुलाई, 2024 | 15 जुलाई, 2024 सु. 10 से शाम 5:30 बजे |

**सार्वजनिक निलामी के नियम व शर्तें**

1. एसएआरएफएईएसआई कानून के प्रावधानों के अंतर्गत सार्वजनिक ई-नीलामी मोड की सहायता से और के ज़रिए ई-नीलामी बिक्री वेबसाइट https://sarfaesi.E-auctiontiger.net के माध्यम से अधिकृत अधिकारी द्वारा ऑनलाइन संचालित की जा रही है.
2. यह सार्वजनिक ई-नीलामी उपरोक्त तिथि एवं समय पर संचालित की जाएगी, जब उपरोक्त सुरक्षित संपत्ति **"जहाँ है" और "जैसी स्थिति में है" आधार पर बेची जाएगी.**
3. इस सार्वजनिक ई-नीलामी में भाग लेने के लिए, इसकी मंशा रखने वाले क्रेताओं/बोलीकर्ताओं को **12/07/2024** को या उससे पहले पेनकार्ड, कंपनी होने की स्थिति में मंडल संकल्पों और पते के प्रमाण की प्रतियों के साथ इन सुरक्षित संपत्तियों के आरक्षित मूल्य के 10% की वापसी योग्य बयाना धनराशि जमा के भुगतान के विवरण जमा करने होंगे.
4. इस सार्वजनिक ई-नीलामी में सफल न होने वाले अन्य सभी बोलीकर्ताओं की ईएमडी को सार्वजनिक ई-नीलामी के समापन के 7 दिन के भीतर एलटीएफ द्वारा वापस कर दिया जाएगा. इस ईएमडी पर कोई ब्याज देय नहीं होगा.
5. सफल क्रेता/बोलीकर्ता द्वारा उसके प्रस्ताव का 25% (ईएमडी सहित) भाग **15/07/2024** को यानी ई-नीलामी के दिन शाम 18.00 बजे या उससे पहले या उसके अगले कार्यदिवस यानी **16/07/2024** को जयपुर में देय "एल&टी फाइनान्स लिमिटेड" के पक्ष में डीडी/पीओ के माध्यम से जमा करवाया जाएगा, जिस जमा की पुष्टि एल&टी फाइनान्स लिमिटेड द्वारा की जानी चाहिए, जिसमें असफल रहने पर विक्रय को असफल माना जाएगा और उक्त सफल बोलीकर्ता की ईएमडी को जब्त कर लिया जाएगा. शेष राशि यानी क्रय राशि का 75% भाग क्रेता द्वारा एल&टी फाइनान्स लिमिटेड को अचल संपत्ति के विक्रय की पुष्टि होने के पंद्रह दिन या उससे पहले या कानून के प्रावधानों के अनुसार ऐसी विस्तारित अवधि में देय होगा.
6. संपत्ति के निरीक्षण या अधिक जानकारी के लिए, प्रत्याशित बोलीकर्ता अधिकृत अधिकारी, यानी **"नाम संजय अग्रवाल, संपर्क नंबर 9981146636, एल&टी फाइनेंस लिमिटेड, रायपुर, छत्तीसगढ़ और संतोष तिवारी, संपर्क नं. 9920490126, एल&टी फाइनान्स लिमिटेड, ऑफिस: 6वीं मंजिल, बृंदावन बिल्डिंग, प्लॉट नं. 177, कलीना सीएसटी रोड, मर्सिडीज़ शोरूम के पास, सांताक्रुज़ (पूर्व), मुंबई-400098"** ई-नीलामी की किसी भी अवस्था में, अधिकृत अधिकारी द्वारा कोई कारण बताए बिना या इसकी कोई पूर्व सूचना दिए बिना ई-नीलामी को स्थगित किया जा सकता है या बोली/प्रस्ताव को स्वीकार/अस्वीकार/परिवर्तित/निरस्त किया जा सकता है.
7. सफल क्रेता/बोलीकर्ता को ऐसे कोई भी वैधानिक शुल्क, कर, देय प्रभार, स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क आदि वहन करना होगा, जो लागू कानूनों के अनुसार संपत्ति को उसके पक्ष में सौंपने/प्रदान करने के लिए भुगतान करने की आवश्यकता हो.
8. ऋणी/गारंटर, जो उक्त बकाया राशियों के लिए देनदार हैं, द्वारा उपरोक्त सार्वजनिक ई-नीलामी विक्रय के धारण के बारे में प्रतिभूति हित (प्रभावीकरण) नियम के नियम 8 (6) के अंतर्गत एक सूचना के रूप में इस विक्रय सूचना को लिया जाएगा.
9. कर्जदार/सहकर्जदार/गारंटर/मॉर्टगेजर को एतद्द्वारा उक्त ई-नीलामी दिनांक से पहले ऊपर वर्णित विवरणों के अनुसार संपूर्ण बकाया लोन राशि अदा करने का आवाहन किया जाता है जिसमें विफल रहने पर एल&टी फाइनान्स लिमिटेड एसएआरएफएईएसआई में दिए गए प्रावधानों के अनुसार संपत्ति को बेच देगी.
10. कर्जदार/सहकर्जदार/गारंटर/मॉर्टगेजर और जन सामान्य को एतद्द्वारा एल&टी फाइनान्स लिमिटेड की लिखित रूप में पूर्व सहमति के बिना सूचना में संदर्भित सिक्योर्ड संपत्तियों को बिक्री, पट्टे या अन्यथा किसी तरीके से अंतरित करने से निषिद्ध किया जा रहा है.

दिनांक: 25.06.2024
स्थान: रायपुर

कृते/-
प्राधिकृत अधिकारी
एल&टी फाइनान्स लिमिटेड के लिए